रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2001/माघ 18, 1922

No. 58] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2001/MAGHA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आयकर

सा.का.नि. 74(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत के गणतन्त्र की सरकार और स्विटजरलैंड संघीय परिषद् की सरकार के मध्य करार को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोतोकोल, करार को संशोधित करने वाले प्रोतोकोल के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रोतोकोल को प्रभावी बनाने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के पूरा करने के बाद दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को परवर्ती अधिसूचनाएं जारी करने के पश्चात् 20 दिसम्बर, 2000 को लागू हो गया है।

अत: अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि करार को संशोधित करने वाले उपर्युक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 35/फा. सं. 501/7/73-एफ टी डी]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करो के सबंध में दोहरे कराधान

के परिहार के लिए

भारत गणराज्य

तथा

स्विस परिसंघ

के बीच करार का

संशोधनकारी प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार हेतु भारत गणराज्य एवं स्विस परिसंघ के बीच नई दिल्ली में 2 नवम्बर, 1994 को हस्ताक्षरित करार (जिसे इसके बाद "करार" कहा जाएगा) का संशोधन करने की इच्छा से

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

स्विस संघ परिषद्

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :—

अनुच्छेद - 1

करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के §उप-पैराग्राफ क§ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"§क§ "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्य क्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा इसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और अन्य कोई समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;"

अनुच्छेद - 2

1. करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"§1§ अनुच्छेद 12 में यथा-परिभाषित सेवाओं को छोड़कर, संविदाकारी राज्य के भीतर किसी उद्यम द्वारा कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से तकनीकी सेवाएं मुहैया करवाना, परन्तु केवल तभी यदि---------"

2. करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 में उप-पैराग्राफ ङ. के पश्चात् निम्नोक्त उप-पैराग्राफ अन्तःस्थापित किया जाएगा :

"§च§ केवल उप-पैराग्राफ §क§ से §ङ.§ तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारंभिक या सहायक प्रकार का हो ।"

3. करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा:

"4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा यदि यह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रिमियम एकत्र करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों के लिए बीमा करता है ।"

4· करार के अनुच्छेद 5 के मौजूदा 4 से 6 पैराग्राफ, पैराग्राफ 5 से 7 तक बन जाएंगे ।

5· करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के पहले वाक्य में "स्वतंत्र हैसियत वाले किसी ऐसे एजेंट को छोड़कर, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है" शब्दों के स्थान पर "स्वतंत्र हैसियत वाले किसी ऐसे एजेंट को छोड़कर जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद – 3

करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"1· अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो ।"

अनुच्छेद – 4

1· करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"1· एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।"

अनुच्छेद – 5

1· करार का अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1 बन जाएगा ।

2· करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा :

"2· जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।"

अनुच्छेद - 6

1· करार के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"2· तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।"

2· करार के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"4· पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।"

3· करार के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 में "स्थायी संस्थापन" पद के बाद "अथवा कोई निश्चित स्थान" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।"

अनुच्छेद - 7

1· करार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"2· तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा जिसमें वह उद्भूत होता है किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।"

2· करार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 को हटा दिया जाएगा ।

3· करार के अनुच्छेद 11 का वर्तमान पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 3 हो जाएगा ।

4. करार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 का उप-पैरा "क" निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा :-

"3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

(क) स्विटजरलैंड में उद्भूत होने वाले तथा भारत के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर भारत में तभी कर लगाया जा सकेगा यदि इसकी अदायगी भारत सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, किसी सांविधिक निकाय अथवा भारत का कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा भारत का आयात-निर्यात बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, अथवा विनिर्दिष्ट किसी संस्थान से लिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा किए गए बीमे अथवा बढ़ाए गए क्रेडिट, दी गई गारंटी अथवा किसी गए बीमे की राशि के संबंध में, की जाती है और संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों के बीच की गई बातचीत के माध्यम से सहमति प्राप्त होने पर की गई हो ।"

5. करार के अनुच्छेद 11 के वर्तमान पैराग्राफ 5 से 8, पैराग्राफ 4 से 7 हो जाएंगे ।

6. करार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 5 और 6 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा:

"5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के द्वारा वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार जारी रखता है जहां ब्याज उद्भूत होता है, अथवा उस दूसरे राज्य में किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य अथवा कोई राजनैतिक उप-प्रभाग या उस राज्य का कोई निवासी है ।

फिर भी, जहां ब्याज अदा करने वाला व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में ऋण-भार प्राप्त हुआ था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद - 8

1· करार के अनुच्छेद 12 के शीर्षक और पैराग्राफ 1 से 7 निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

"अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें

1· एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2· तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा : लेकिन यदि रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का हितभागी स्वामी उस अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3· इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" पद से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट जिसमें रेडियो अथवा दूरदर्शन के प्रसारण के लिए चलचित्रदर्शी फिल्में अथवा फिल्म पर कार्य टेपें अथवा पुनः निर्माण के अन्य साधन सहित किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियों से है ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय, तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबन्ध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल के रूप में किसी भी व्यक्ति को की गई किसी भी प्रकार की अदायगियों से है ।

5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी, "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" में निम्नलिखित अदा की गई राशियां शामिल नहीं हैं :

(क) शैक्षिक संस्थानों में अथवा द्वारा अध्यापन के लिए ;

(ख) अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित सेवाओं के लिए।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

7. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसे रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।"

2. करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 8 में "सम्मिलित सेवाएं" पद को "तकनीकी सेवाएं" पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 9

1. करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।"

2. अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 5, निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ :

(क) केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसका कि अंतरणकर्ता एक निवासी है;

(ख) उप-पैराग्राफ (क) के उपबंधों के होते हुए भी, भारत किसी ऐसी कम्पनी के शेयरों के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर कर लगा सकता है, जो भारत की निवासी हो ।

इस संबंध में अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के उपबंध लागू होंगे ।"

अनुच्छेद - 10

1. स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद 14 को पूंजीगत अभिलाभों से संबंधित अनुच्छेद 13 के बाद शामिल किया जाएगा ।

"अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :

§क§ यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

§ख§ यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हो, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधित कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, शल्य-चिकित्सकों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।"

2. वर्तमान अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 15 के रूप में पुनः-क्रमांकित किया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16,18,19,20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

§क§ प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है; और

§ख§ पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसके ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है : और

§ग§ पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।"

3. करार के अनुच्छेद 15 से 20, अनुच्छेद 16 से 21 हो जाएंगे ।

अनुच्छेद - 11

निम्नलिखित अनुच्छेद को करार के अनुच्छेद 21 के बाद शामिल किया जाएगा :

"अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिनपर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर, लागू नहीं होंगी, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, वह उक्त स्थायी अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी कोई दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित लाटरियों, वर्ग-पहेलियों, घुड़-दौड़ों, कार्ड गेमों और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों सहित रेसों अथवा जुएबाजी अथवा किसी भी प्रकार या स्वरूप की शर्त लगाने आदि स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।"

अनुच्छेद - 12

1· करार का अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 23 जाएगा ।

2· करार के पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ §क§ में उप-पैराग्राफ §घ§ के लिए किया गया संदर्भ हटा दिया जाएगा ।

3· करार के पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 2 का उप-पैराग्राफ §घ§ हटा दिया जाएगा ।

4· करार के पुनरांकित अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 2 का उप-पैरा §ग§ को मिटा दिया जाएगा ।

5· करार के पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ §घ§ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"§ग§ जहां स्विटजरलैंड का कोई निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ की धारा 10 §4§, 10§4ख§, 10§15§§i1/§ और 80 ठ तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ §घ§ में दिए गए अनुसार ब्याज प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में अनुरोध किए जाने पर ऐसे नागरिक को स्विटजरलैंड ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि की छूट प्रदान करेगा ।"

अनुच्छेद - 13

1· करार का अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 24 हो जाएगा ।

2· करार के पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"1· एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई ऐसी कराधान व्यवस्था अथवा उसके साथ जुडी हुई कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर समान परिस्थितियों में और एक-समान शर्तों पर लागू होती है अथवा लागू हो सकती है । यह उपबंध, अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।"

3· निम्नलिखित पैराग्राफ, करार के पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के पश्चात सम्मिलित किया जाएगा :

"3• जब तक कि जहां-कहीं अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 का पैराग्राफ 8 लागू हो, अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अदा किया गया ब्याज, रायल्टी और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कराधान लाभों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु, उन्हीं शर्तों के अंतर्गत कटौती योग्य समझा जाएगा जैसे कि उनको प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को भुगतान किया गया हो ।"

4• करार का पुनःक्रमांकित अनुच्छेद 24 का विद्यमान 3 और 4 पैराग्राफ पैराग्राफ 4 और 5 हो जाएगा ।

अनुच्छेद - 14

करार के अनुच्छेद 23 से 27 अनुच्छेद 25 से 29 हो जाएंगे ।

अनुच्छेद - 15

क• करार से संबंधित प्रोतोकोल के पैराग्राफ 1 के प्रथम उप-पैराग्राफ में "अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ क में" शब्दों के स्थान पर "...... अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

ख• करार से संबंधित प्रोतोकोल के पैराग्राफ 1 के तीसरे उप-पैराग्राफ में "अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के संबंध में ....." शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 5 का पैराग्राफ 5 के संबंध में...." शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

ग• करार के प्रोतोकोल के पैराग्राफ 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा :

"3• अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ सहित

यह समझा जाता है कि स्विटजरलैंड, भारत के सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तथा दोनों संविदाकारी राज्य में लाभों के समायोजनों संबंधी किसी करार पर पहुंचने के पश्चात् ही कोई समुचित समायोजन करेगा ।"

घ• करार के प्रोतोकोल के विद्यमान पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4· अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में

यदि भारत तथा किसी ऐसे तीसरे राष्ट्र जो कि ओईसीडी का सदस्य है के बीच हुए किसी अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के तहत 16 फरवरी, 2000 के प्रोतोकोल के हस्ताक्षर के पश्चात् "भारत लाभांशों का ब्याज, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों पर स्रोत पर अपने कराधान के संबंध में आय की कथित मदों पर इस करार में बताए गए क्षेत्र अथवा कर की दर की अपेक्षा और अधिक सीमित क्षेत्र अथवा कर दर करना चाहता है, तो स्विटजरलैंड तथा भारत बिना किसी अनुचित विलम्ब के बातचीत प्रारंभ करेंगे जिससे कि स्विटजरलैंड के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जैसा कि तीसरे राष्ट्र के साथ किया गया है ।

ङ· करार के प्रोतोकोल में पैराग्राफ 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा :

"5· अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ ख के संदर्भ सहित

यह समझा जाता है कि यदि कुछ समय बाद स्विटजरलैंड ऐसी कम्पनी जिसका उल्लेख पैराग्राफ 4 में किया गया है के शेयरों को छोड़कर किसी स्विस कम्पनी के शेयरों के अन्तरण से अभिलाभगत कर लगाता है तो अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

"5· पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी के शेयरों से भिन्न, शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।"

ऐसे मामले में करार का अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 1 का उप-पैराग्राफ (ख) हटा दिया जाएगा ।

च· करार के प्रोतोकोल का विद्यमान पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 6 हो जाएगा ।

छ· करार के प्रोतोकोल में पैराग्राफ 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा :

"7· अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ सहित

यह माना जाता है कि इस उपबंध का आशय किसी संविदाकारी राज्य को प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की उस दर से ऊंची दर पर कर लगाने से रोकना नहीं है जो प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसी ही किसी कम्पनी के लाभों पर लागायी जाती है और न ही इसका आशय इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों का विरोध करना ही है ।

ज. करार के प्रोतोकोल का विद्यमान पैराग्राफ 5 पैराग्राफ 8 हो जाएगा तथा उसके शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा :

"8. अनुच्छेद 25 के संदर्भ सहित"

अनुच्छेद 16

1. एक संविदाकारी राज्यों की सरकारें अपने-अपने राजनयिक माध्यमों से अधिसूचित करेंगे कि इस प्रोतोकोल के प्रभावी होने संबंधी सभी कानूनी अपेक्षाओं तथा कार्यविधियों से संतुष्ट हैं ।

2. यह प्रोतोकोल जो कि करार का एक अंगभूत भाग होगा, पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद की तारीख वाली अधिसूचना से लागू होगा तथा उसके उपबंध प्रभावी होंगे :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में प्रोतोकोल लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और

(ख) स्विटजरलैंड में, जिस कैलेण्डर वर्ष में प्रोतोकोल लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों को उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् तौर पर प्राधिकृत किया गया है ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2000 को हिन्दी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में, दो प्रतियों में, निष्पन्न किया गया है, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी व प्रमाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	स्विस संघीय परिषद् की ओर से
(यशवन्त सिन्हा)	(पास्कल कोचीपिन)